



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक : F(20) CCE /RKSJ/PI/2020/306

दिनांक 3.12.2020

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
(नोडल निरीक्षण अधिकारी, NOC निजी महाविद्यालय)
राजस्थान

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त निजी महाविद्यालयों की कमीपूर्ति प्रमाणित कर हार्ड कॉपी भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय आदेश 303 दिनांक 25.11.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको आवंटित तहसील में अवस्थिति निजी महाविद्यालय जिनको अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि या स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है उनकी कमीपूर्ति दस्तावेज प्रमाणित कर संदर्भित पत्रानुसार निर्धारित प्रारूप सहित हार्ड कॉपी में (ई-मेल द्वारा नहीं) संस्था के माध्यम से आयुक्तालय भिजवाना सुनिश्चित करें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

अल्पना व्यास

(डॉ. अल्पना व्यास)

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि – वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

अल्पना व्यास

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।